03/08/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पैरोकार राज उपस्थित। वकुलाय फरीकैन की बहस समाप्त की गयी। वकील प्रार्थी ने अस्थायी निशेधाज्ञा दावा चलने तक निरन्तर जारी रखे जाने के पक्ष में बहस की, एवं वकील अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया एवं बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी स्थगन आदेश की आड़ में ग्राम पंचायत के विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास कर रहा है।

पैरोकार राज. ने भी प्रार्थना-पत्र खारिज करने की दलील प्रस्तुत की। प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थायी निशेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जावे आदि-आदि।

हमनें प्रार्थना-पत्र में वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दलीलों का अध्ययन किया एवं प्रार्थना-पत्र निस्तारण के तीन-बिन्दुओं पर बहस सुनी। तत्पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना-पत्र निस्तारण करने के बिन्दु सिद्ध नहीं होते है। प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं है। खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के तीन बिन्दुओं पर विश्लेषण किया-गया——

1. प्रथम दृष्टया : मामला :- मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।
2. सुविधा का सन्तुलन :- सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।
3. अपूर्णीय क्षति :- अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए

अतः पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सारहीन होने के कारण पोषणीय नहीं है। खारिज योग्य है। अतः पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रार्थना-पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/08/2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर